ए.

प्रवर्तन निदेशक v.

पद्मनाभन किशोर (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1864) 31 अक्टूबर, 2022

बी.

[उदय उमेश ललित**,** मुख्य न्यायाधीश और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.]**

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002-ss.2(1)(यू), 3 और 4-अभियोजन का मामला यह था कि ए-1 आयकर का अतिरिक्त आयुक्त था-खुफिया जानकारी पर, सी. बी. आई. ने ए-1 के घर के सामने खड़ी एक कार की जांच की और नकद में 1,00,000/- की राशि बरामद की-यह आरोप लगाया जाता है कि उस समय ए-1 और ए-3 उस कार में थे-जांच के दौरान, यह पता चला कि ए-2 द्वारा ए-1 को 1,00,000/- की राशि सौंपी गई थी, जिसकी आयकर फाइल मंजूरी के लिए ए-1 के पास लंबित थी-चूंकि ए-2 कुछ लाभ चाहता था, उसने कथित तौर पर ए-1 को रिश्वत के रूप में 1,00,000/- की राशि का भुगतान किया था-इस जब्ती के संबंध में, एस के तहत मामला दर्ज किया गया था।120- बी आई. पी. सी. और एस.7, 12, 13(1)((घ) आर/डब्ल्यू एस।13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988,ए-1, ए-2, ए-3, ए-4, ए-5 और ए-6 के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3-ए-1, ए-3, ए-3, ए-4, ए-5 और ए-6-ए-2 ने उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर कार्यवाहियों को रद्द करने के लिए रिट याचिका दायर की कि जब तक यह प्रत्यर्थी के हाथों में है तब तक की राशि को दूषित धन नहीं कहा जा सकता है; कि यह लोक सेवक द्वारा प्राप्त होने के बाद ही ऐसा चरित्र ग्रहण करता है और क्योंकि ऐसे प्रत्यर्थी के खिलाफ पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है-उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी और प्रत्यर्थी के खिलाफ पीएमएल अधिनियम में कार्यवाही को रद्द कर दिया-राज्य की अपील पर, कहाःपी. एम. एल. अधिनियम में "अपराध की आय" की परिभाषा का अर्थ है किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त या प्राप्त की गई कोई भी संपत्ति-एस. एस. के तहत दंडनीय अपराध।7, 12 और 13 अनुसूचित अपराध हैं-अनुसूची के भाग-क के पैरा 8 में उल्लिखित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त कोई भी संपत्ति निश्चित रूप से "अपराध की आय" होगी-यह सच है कि जब तक राशि रिश्वत देने वाले के हाथों में है, और जब तक यह अपेक्षित इरादे से प्रभावित नहीं होती है और वास्तव में रिश्वत के रूप में सौंपी जाती है, तब तक यह निश्चित रूप से बेदाग धन होगा-यदि धन

को इस तरह के इरादे के बिना सौंपा जाता है, तो यह केवल एक समर्पण होगा-यदि इसके बाद लोक सेवक द्वारा इसे विनियोजित किया जाता है, तो अपराध होगा -

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1064

1065

प्रवर्तन निदेशक बनाम पद्मनाभन किशोर ए

गबन या उसके प्रकार का, लेकिन निश्चित रूप से रिश्वत का नहीं-इसलिए महत्वपूर्ण भाग राशि को रिश्वत के रूप में सौंपने का अपेक्षित इरादा है और आम तौर पर ऐसा इरादा आवश्यक रूप से पूर्ववर्ती होना चाहिए या राशि सौंपे जाने के क्षण से पहले होना चाहिए-इस प्रकार, आवश्यक इरादा हमेशा राशि सौंपने से पहले मूल रूप से होगा-इस तरह के इरादे को वास्तव में राशि सौंपने से बहुत पहले माना गया है, संबंधित व्यक्ति निश्चित रूप से "अपराध की आय" से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, कब्जा या अधिग्रहण के पहलू शामिल हैं-रिश्वत देने के इरादे से धन सौंपने से, ऐसा व्यक्ति जानबूझकर अपराध की आय से जुड़ी किसी गतिविधि में सहायता करेगा या एक पक्ष होगा-व्यक्ति की ओर से ऐसी सक्रिय भागीदारी के बिना।3 पी. एम. एल. अधिनियम इस प्रकार ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका को कवर करने के लिए काफी व्यापक है-प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई शिकायत के एक नंगे अवलोकन से पता चला है कि प्रत्यर्थी प्रथम दृष्टया अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि में शामिल था।

बी.

सी.

डी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** पी**.** एम**.** एल**.** अधिनियम में "अपराध की आय" की परिभाषा का अर्थ है**,** अन्य बातों के साथ**-**साथ**,** किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्राप्त की गई कोई भी संपत्ति।धारा **7,12** और **13** के तहत दंडनीय अपराध अनुसूचित अपराध हैं**,** जैसा कि पीएमएल अधिनियम की अनुसूची के भाग**-**ए के पैराग्राफ **8** से स्पष्ट है। अनुसूची के भाग**-**क के उक्त पैरा **8** में उल्लिखित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त कोई भी संपत्ति निश्चित रूप से "अपराध की आय" होगी।**[**पैरा **13] [1071-**बी**-**सी**]**

ई.

एफ.

2. यह सच है कि जब तक राशि रिश्वत देने वाले के हाथ में है**,** और जब तक यह अपेक्षित इरादे से प्रभावित नहीं होती है और वास्तव में रिश्वत के रूप में सौंपी जाती है**,** यह निश्चित रूप से बेदाग धन होगा।यदि इस तरह के इरादे के बिना पैसा सौंपा जाता है**,** तो यह केवल एक सौंपना होगा।यदि इसके बाद लोक सेवक द्वारा इसे विनियोजित किया जाता है**,** तो अपराध गबन या उसके प्रकार का होगा**,** लेकिन निश्चित रूप से रिश्वत का नहीं होगा।इसलिए महत्वपूर्ण हिस्सा सौंपने का आवश्यक इरादा है

जी.

एच.

रिश्वत के रूप में राशि और आम तौर पर ऐसा इरादा अनिवार्य रूप से पूर्ववर्ती या राशि सौंपे जाने के क्षण से पहले होना चाहिए।इस प्रकार**,** राशि सौंपने से पहले आवश्यक इरादा हमेशा मूल में होगा।वास्तव में राशि सौंपने से पहले इस तरह के इरादे पर विचार किया गया है**,** संबंधित व्यक्ति निश्चित रूप से "अपराध की आय" से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल होगा**,** जिसमें अन्य बातों के साथ**-**साथ**,** उसके कब्जे या अधिग्रहण के पहलू शामिल हैं।रिश्वत देने के इरादे से धन सौंपने से**,** ऐसा व्यक्ति अपराध की आय से जुड़ी किसी गतिविधि में सहायता करेगा या जानबूझकर एक पक्ष होगा।संबंधित व्यक्ति की ओर से इस तरह की सक्रिय भागीदारी के बिना**,** धन को अपराध की आय के रूप में नहीं माना जाएगा।पी**.** एम**.** एल**.** अधिनियम की धारा **3** की प्रासंगिक अभिव्यक्तियाँ इस प्रकार ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं।प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई शिकायत के नंगे अवलोकन पर**,** यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी प्रथम दृष्टया अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि में शामिल था।**[**पारस **16** और **17] [1071-**ई**-**एच**; 1072-**ए**-**बी**]**

बी.

सी.

डी.

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1864।

2019 के डब्ल्यू. पी. No.25670 में मद्रास में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 01.03.2021 से।

ई.

बीर सिंह, ए. एस. जी., मुकेश कुमार मरोरिया, सुश्री अलका अग्रवाल, सुश्री स्नेहाशीष मुखर्जी, नमन टंडन, दिग्विजय दाम, विशाल अग्रवाल, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

एस. नागमुथु, वरिष्ठ अधिवक्ता, वाई. अरुणगिरी, अशोक कुमार, राजगोपाल, ए. एस. वैरावन, आर. सुधाकरन, जी. आर. विकास, डी. सुब्रमण्य भानू, रोहन, टी. हरि हरा सुधन, पी. सोमा सुंदरम, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित, मुख्य न्यायाधीश

जी.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 25670/2019 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 1.3.2021 को चुनौती देती है।

एच.

1067

प्रवर्तन निदेशक बनाम पद्मनाभन किशोर [उदय उमेश ललित, सीजेआई] ए

ए.

3. प्रत्यर्थी द्वारा वनहीन रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (संक्षेप में "पीएमएल अधिनियम") के प्रावधानों के तहत उनके खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

4. जिन बुनियादी तथ्यों के कारण उक्त रिट याचिका दायर की गई, वे अपील के तहत फैसले के पैराग्राफ 2.1 से 2.3 में दर्ज किए गए हैं, जो इस प्रकार हैंः- “ 2.1 एक आंदासु रविंदर (ए 1), आईआरएस, आयकर, चेन्नई के अतिरिक्त आयुक्त के रूप में काम कर रहा था।खुफिया जानकारी

के आधार पर, केंद्रीय जांच ब्यूरो (संक्षिप्तता के लिए "सीबीआई") ने उक्त अंदासु रविंदर के (ए 1) घर के परिसर के सामने 29.08.2011 पर खड़ी एक कार की जांच की और नकद में Rs.50,00,000/- की राशि बरामद की।आरोप है कि उस समय कार में अंदासु रविंदर (ए 1) और उत्तम चंद बोहरा (ए 3) सवार थे।2.2 जाँच के दौरान, यह पता चला कि याची पद्मनाभन किशोर (ए 2), जिसकी आयकर फाइल अंडासु रविंदर (ए 1) के पास मंजूरी के लिए लंबित थी, ने उक्त अंडासु रविंदर (ए 1) को <आईडी1,00,000/- की राशि सौंपी थी।चूंकि पद्मनाभन किशोर (ए 2) कुछ लाभ चाहते थे, इसलिए उन्होंने कथित तौर पर अंडासु रविंदर (ए 1) को रिश्वत के रूप में Rs.50,00,000/- का भुगतान किया था।

बी.

सी.

डी.

2.3 इस जब्ती के संबंध में, सी. बी. आई. ने R.C.No.MA1 2011 ए 0033 में 29.08.2011 पर एक एफ. आई. आर. दर्ज की और जाँच पूरी करने के बाद, आई. पी. सी. की धारा 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7,12,13 (1) (डी) आर/डब्ल्यू 13 (2) के तहत अपराधों के लिए सी. बी. आई. मामलों के लिए विशेष न्यायालय, चेन्नई के समक्ष 2013 की C.C.No.3 में अंडासु रविंदर (ए 1), पद्मनाभन किशोर (ए 2), उत्तम चंद बोहरा (ए 3), रामकृष्णन (ए 4), T.Banusekar (ए 5) और <आई. डी5> (ए 6) के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।चूंकि सी. बी. आई. द्वारा दर्ज मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 ("पी. एम. एल. अधिनियम" की संक्षिप्तता के लिए) के तहत 'अनुसूचित अपराध' का खुलासा हुआ है, इसलिए प्रवर्तन निदेशालय ने 2016 के आई. डी. 1 में मामला दर्ज किया और जांच पूरी करने के बाद, एवरॉन एजुकेशन लिमिटेड और पद्मनाभन किशोर (ए 2) सहित तीन अन्य लोगों के खिलाफ पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 3 आर/डब्ल्यू 4 के तहत अपराधों के लिए 2018 के आई. डी. 2 में शिकायत दर्ज की, जिसे रद्द करने के लिए, पद्मनाभन किशोर (ए 2) इस न्यायालय के समक्ष है।"

ई.

एफ.

जी.

एच.

5. जैसा कि उद्धृत भाग से स्पष्ट है, प्रत्यर्थी ने कथित रूप से एक लोक सेवक को <ID1,00,000/- (केवल पचास लाख रुपये) की राशि सौंपी थी, जिसे लेनदेन और आसपास की परिस्थितियों को 29.8.2011 की प्राथमिकी में पेश किया गया था, जिससे भारतीय दंड संहिता, 1860 ("आई. पी. सी"., संक्षेप में) की धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ("पी. सी. अधिनियम", संक्षेप में) की धारा 13 (2) सहपठित धारा 7,12,13 (1) (डी) के तहत अपराध दर्ज किया गया।बाद में, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्रत्यर्थी सहित अभियुक्तों के खिलाफ पीएमएल अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज किया गया।

बी.

6. प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत मूल निवेदन यह था कि जब तक यह प्रत्यर्थी के हाथों में है, तब तक प्रत्यर्थी राशि को दूषित धन नहीं कहा जा सकता है; कि यह लोक सेवक द्वारा प्राप्त होने के बाद ही ऐसा चरित्र ग्रहण करता है; और इस तरह प्रत्यर्थी को अपराध की आय से जुड़ा हुआ नहीं कहा जा सकता है और पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ इस निवेदन को स्वीकार कर लियाः-

सी.

डी.

“7. पी. एम. एल. अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए, अभियुक्त को अपराध की आय को बेदाग धन के रूप में पेश करना चाहिए था।इस मामले में, जब तक यह पद्मनाभन किशोर (ए 2) के हाथों में था, तब तक आई. डी. 1,00,000/- की राशि को दागी धन के रूप में नहीं कहा जा सकता था क्योंकि 2013 के आई. डी. 2 में सी. बी. आई. का मामला यह नहीं है कि पद्मनाभन किशोर (ए 2) ने आपराधिक गतिविधि के माध्यम से आई. डी. 1,00,000/- जुटाए थे।Rs.50,00,000/- की राशि अपराध की आय तभी बन गई जब अंडासु रविंदर (A1) ने इसे रिश्वत के रूप में स्वीकार किया।इससे पहले कि अंडासु रविंदर (ए 1) 'आईडी1', '00,000/-' की राशि को बेदाग धन के रूप में पेश कर सके, सीबीआई ने हस्तक्षेप किया और 'आईडी2' पर कार में पैसे जब्त कर लिए।8. इसलिए, हमारी राय में, पीएमएल अधिनियम के तहत पद्मनाभन किशोर (ए 2) का अभियोजन गलत है।7. इस प्रकार उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और प्रत्यर्थी के खिलाफ पीएमएल अधिनियम में कार्यवाही को रद्द कर दिया, जो निर्णय वर्तमान में हमारे सामने चुनौती के अधीन है।

ई.

एफ.

जी.

8. हमने अपील के समर्थन में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह और प्रत्यर्थी के वरिष्ठ वकील श्री एस. नागमुथु को विद्वान है।

एच.

1069

प्रवर्तन निदेशक बनाम पद्मनाभन किशोर [उदय उमेश ललित, सीजेआई] ए

ए.

9. पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 2 (1) (यू) में अपराध की आय की परिभाषा इस प्रकार हैः-

“2. परिभाषाएँ।— (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यक न हो, -

XXX

XXX

XXX

बी.

(यू) "अपराध की आय" का अर्थ है किसी अनुसूचित अपराध या ऐसी संपत्ति के मूल्य से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई कोई संपत्ति या जहां ऐसी संपत्ति देश के बाहर ली जाती है या रखी जाती है, तो देश के भीतर या विदेश में रखी गई मूल्य के बराबर संपत्ति; स्पष्टीकरण —संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "अपराध की आय" में न केवल अनुसूचित अपराध से प्राप्त या प्राप्त संपत्ति शामिल है, बल्कि कोई भी संपत्ति जो अनुसूचित अपराध से संबंधित किसी भी आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की जा सकती है।

सी.

10. पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 3 और 4 जो वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रमुख धाराएँ हैं, निम्नानुसार हैंः-

डी.

“3. धन शोधन का अपराध।—जो भी सीधे या

अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने या जानबूझकर सहायता करने का प्रयास या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, जिसमें इसे छिपाना,

कब्जा करना, अधिग्रहण करना या उपयोग करना और इसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना या दावा करना शामिल है, धन शोधन के अपराध का दोषी होगा।

ई.

स्पष्टीकरण —संदेहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि-(i) कोई व्यक्ति धन शोधन के अपराध का दोषी होगा यदि ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिप्त होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी निम्नलिखित प्रक्रियाओं या गतिविधियों में से एक या अधिक में शामिल है, अर्थात्:—

एफ.

((क) छिपाना; या

((ख) स्वामित्व; या

जी.

(ग) अधिग्रहण; या

((घ) उपयोग; या

(ई) बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करना; या (च) बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करना, किसी भी तरह से;

एच.

((ii) अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि एक निरंतर गतिविधि है और तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय का आनंद उसे छिपाकर या कब्जा करके या अधिग्रहण करके या उसका उपयोग करके या उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करके या किसी भी तरह से बेदाग संपत्ति के रूप में दावा करके ले रहा हो।

बी.

4. धन-शोधन के लिए दंड।— जो भी करता है

धन शोधन के अपराध के लिए सश्रम कारावास की सजा होगी जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो सात वर्ष तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी:बशर्ते कि जहां

धनशोधन में शामिल अपराध की आय अनुसूची के भाग ए के पैरा 2 के तहत निर्दिष्ट किसी अपराध से संबंधित है, इस धारा के प्रावधान इस तरह प्रभावी होंगे जैसे कि "जो सात साल तक बढ़ सकता है" शब्दों के लिए, "जो दस साल तक बढ़ सकता है" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया था।”11. पी. एम. एल. अधिनियम की अनुसूची के भाग-ए का अनुच्छेद 8 पी. सी. अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित है और कहा गया है कि अनुच्छेद निम्नलिखित प्रभाव से हैः-

सी.

डी.

“ पैराग्राफ 8

भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम**, 1988** के तहत अपराध

(49 1988)

ई.

एफ.

जी.

एच.

1071

प्रवर्तन निदेशक बनाम पद्मनाभन किशोर [उदय उमेश ललित, सीजेआई] ए

ए.

12. प्रत्यर्थी पर पी. सी. अधिनियम की धारा 13 (2) सहपठित धारा 7,12,13 (1) (डी) के तहत दंडनीय अपराध करने की साजिश रचने का अपराध करने का आरोप है। तत्काल मामले में विवाद पीसी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध में उनकी संलिप्तता के संबंध में नहीं है, लेकिन यह सवाल उठाता है कि क्या प्रत्यर्थी के खिलाफ पीएमएल अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

बी.

13. पी. एम. एल. अधिनियम में "अपराध की आय" की परिभाषा का अर्थ है, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त या प्राप्त की गई कोई संपत्ति।धारा 7,12 और 13 के तहत दंडनीय अपराध अनुसूचित अपराध हैं, जैसा कि पीएमएल अधिनियम की अनुसूची के भाग-ए के पैराग्राफ 8 से स्पष्ट है। अनुसूची के भाग-क के उक्त पैरा 8 में उल्लिखित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्राप्त कोई भी संपत्ति निश्चित रूप से "अपराध की आय" होगी।

सी.

14. जवाब देने के लिए एक और सवाल है:क्या प्रत्यर्थी द्वारा निभाई गई भूमिका पीएमएल अधिनियम की धारा 3 के दायरे में आ सकती है?

डी.

15. धारा 3 में कहा गया है कि अन्य बातों के साथ-साथ, जो कोई भी जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराध की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है, जिसमें इसे छिपाना, रखना, अधिग्रहण या उपयोग शामिल है, वह धन-शोधन के अपराध का दोषी होगा।

ई.

(हमारे द्वारा जोड़ा गया बल)।

16. यह सच है कि जब तक राशि रिश्वत देने वाले के हाथ में है, और जब तक यह अपेक्षित इरादे से प्रभावित नहीं होती है और वास्तव में रिश्वत के रूप में सौंपी जाती है, यह निश्चित रूप से बेदाग धन होगा।यदि इस तरह के इरादे के बिना पैसा सौंपा जाता है, तो यह केवल एक सौंपना होगा।यदि इसके बाद लोक सेवक द्वारा इसे विनियोजित किया जाता है, तो अपराध गबन या उसके प्रकार का होगा, लेकिन निश्चित रूप से रिश्वत का नहीं होगा।इसलिए महत्वपूर्ण भाग राशि को रिश्वत के रूप में सौंपने का अपेक्षित इरादा है और आम तौर पर ऐसा इरादा आवश्यक रूप से पूर्ववर्ती या राशि सौंपने के क्षण से पहले होना चाहिए।इस प्रकार, राशि सौंपने से पहले आवश्यक इरादा हमेशा मूल में होगा।वास्तव में राशि सौंपने से पहले इस तरह के इरादे पर विचार किया गया है, संबंधित व्यक्ति निश्चित रूप से "अपराध की आय" से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि में

शामिल होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, उसके कब्जे या अधिग्रहण के पहलू शामिल हैं। रिश्वत देने के इरादे से पैसे सौंपने से, ऐसा व्यक्ति सहायता करेगा या करेगा

एफ.

जी.

एच.

अपराध की आय से जुड़ी किसी गतिविधि के लिए जानबूझकर अलग रहें।संबंधित व्यक्ति की ओर से इस तरह की सक्रिय भागीदारी के बिना, धन को अपराध की आय के रूप में नहीं माना जाएगा।पी. एम. एल. अधिनियम की धारा 3 की प्रासंगिक अभिव्यक्तियाँ इस प्रकार ऐसे व्यक्ति द्वारा निभाई गई भूमिका को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं।

17. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई शिकायत के नंगे अवलोकन पर, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी प्रथम दृष्टया अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि में शामिल था।

बी.

18. उच्च न्यायालय द्वारा यह विचार कि प्रत्यर्थी को पीएमएल अधिनियम के तहत अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, पूरी तरह से गलत है।

सी.

19. प्रत्यर्थी की संलिप्तता के संबंध में हमारे द्वारा की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं और इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप यदि इस स्तर पर सही माने जाते हैं, तो वे अपराध साबित होंगे या नहीं।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि तथ्यों के आधार पर मामले पर उचित स्तर पर विशुद्ध रूप से गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।20. इसलिए हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश अपास्त करना कर देते हैं।नतीजतन, प्रत्यर्थी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पंजीकृत 2016 के E.C.I.R संख्या 13 में कानून के अनुसार तैयार किया जाना और उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रखी जाएगी।21. इस प्रकार अपील की अनुमति है।

डी.

ई.

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

एफ.

जी.

एच.